Date: 7 **जुलाई** 2023

चिंकारा

सदर्भ-

- हाल ही में राजस्थान की एक सत्र अदालत ने चिंकारा हत्या के एक मामले में जुर्माने की आधी राशि इनाम के रूप में मुखबिर को देने का आदेश दिया है।

चिंकारा (भारतीय गज़ेल)-

चिंकारा (*गज़ेला बेनेट्टी), जिसे भारतीय गज़ेल* के रूप में भी जाना जाता है , यह एक गज़ेल प्रजाति संबंधित है। इसका मूल निवास भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान हैं। तथा भारत के राजस्थान का राज्य पशु के तौर पर जाना जाता हैं।

- **आवास:** शुष्क मैदान और पहाड़ियां , रेगिस्तान, शुष्क झाड़ी और हल्के जंगल। वे भारत में 80 से अधिक संरक्षित क्षेत्रों में निवास करते हैं।
- **आहार:** वे शाकाहारी हैं (फोलीवोर्स, फ्रुजिवोर्स)। वे घास, विभिन्न पत्तियों और फलों (तरबूज, कद्दू) पर भोजन करते हैं।
- ये गज़ेल कई दिनों तक पानी के बिना जा सकते हैं और उन पौधों से तरल पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं जिनका वे भोजन **करते हैं।**
- चिंकारा रात **में भोजन करना पसंद करते हैं और** सूर्यास्त से ठीक पहले और रात के दौरान सबसे अधिक सक्रिय **होते हैं।**
- **जनसंख्या:** भारत में (2011 में) थार रेगिस्तान में 80,000 से लेकर 100,000 से अधिक जानवरो का अनुमान **।**
- **खतरा:** कृषि और औद्योगिक विस्तार और अतिचराई के कारण और निवास स्थान को नुकसान और अवैध शिकार।
- **संरक्षण की स्थिति: IUCN – सबसे कम चिंता (LC)**
- यह **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I के तहत संरक्षित है।**

निर्णय और औचित्य:

- अदालत ने चिंकारा को मारने के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम , 1972 **के तहत दोषी पर जुर्माना लगाया** । यह अधिनियम जंगली जानवरों की **अनुसूचित प्रजातियों** के शिकार को एक गंभीर अपराध घोषित करता है।
- **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 55 (सी)** अदालत को एक निजी व्यक्ति की शिकायत पर अपराध का संज्ञान लेने का अधिकार देती है।
- **संविधान के अनुच्छेद 51ए (जी)** में कहा गया था कि वन्यजीवों की सुरक्षा और जीवित प्राणियों के प्रति करुणा रखना **नागरिकों का** मौलिक कर्तव्य है।

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत अनुसूचित प्रजातियां-

- अधिनियम में छह अनुसूचियां हैं जो जानवरों और पौधों की प्रजातियों को सुरक्षा की अलग-अलग डिग्री देती हैं।
- **अनुसूची I** और अनुसूची **II के भाग II** पूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं – इनके तहत अपराधों को उच्चतम दंड निर्धारित किया गया है।
- अनुसूची III **और** अनुसूची IV **में सूचीबद्ध प्रजातियां** भी संरक्षित हैं, लेकिन दंड बहुत कम हैं।
- अनुसूची V के **तहत जानवर,** जैसे आम कौवे , फल चमगादड़, चूहे और चूहे , कानूनी रूप से वर्मिन माने जाते हैं और **स्वतंत्र** रूप से शिकार किया जा सकता है।
- अनुसूची VI **में निर्दिष्ट स्थानिक पौधों को** खेती और रोपण से प्रतिबंधित किया गया है।

स्रोत: TH

Rajiv Pandey

मोज़ेक वायरस

सदर्भ-

- महाराष्ट्र और कर्नाटक के किसानों ने टमाटर की फसलों के नुकसान के लिए सीएमवी और टीओएमवी नामक दो 'मोज़ेक' वायरस का उल्लेख किया है।
- सीएमवी (ककड़ी मोज़ेक वायरस) और टीओएमवी (टमाटर मोज़ेक वायरस) दो अलग-अलग रोगजनक हैं जो फसलों को समान रूप से नुकसान पहुचातें हैं।

टमाटर मोज़ेक वायरस (TOMV)-

- **परिवार:** टीओएमवी यानी कि टोमौटे मोजैक वायरस टोबैको मोजैक वायरस (TMV) परिवार का है। यह विरगाविरिडे परिवार से संबंधित है TMV को पहली बार 1909 में संयुक्त राज्य अमेरिका में रिपोर्ट किया गया था।
- **मेजबान:** यह टमाटर, तंबाकू, काली मिर्च और कुछ सजावटी पौधों पर अटैक करता है।
- **प्रसार:** टीओएमवी मुख्य रूप से वायरस संक्रमति या रोगजनित बीज, पौध, कृषि यंत्र और यहां तक कि नर्सरी में काम करने वाले लोगों के हाथों से फैलते हैं। अगर खेत में काम करने वाले लोग हाथों को ठीक से सैनिटाइज ना करने पर।
- **प्रभाव:** यह पौधे का हिस्सा पीला और गहरा हरा हो जाता है , जो अक्सर पत्तियों पर फफोले के रूप में दिखाई देते हैं। यह पत्तियों के विरूपण और छोटी पत्तियों के मुड़ने का कारण भी बनता है। फल नेक्रोटिक धब्बे विकसित करता है, जिससे ओवरराइपनिंग होती है। नए पौधे बौने हो जाते हैं और फलों के लगने में देरी आती है।

ककड़ी मोज़ेक वायरस (CMV)-

- **परिवार: यह** ब्रोमोविरिडे परिवार **से संबंधित है और** 1934 में **खीरे में पहचाना गया था।**
- **मेजबान:** ककड़ी, तरबूज, बैंगन, टमाटर, गाजर, सलाद, अजवाइन, कुकुरबिट (लौकी परिवार के सदस्य, जिसमें स्क्वैश, कद्दू, तोरी, कुछ लौकी आदि शामिल हैं), और कुछ सजावटी।
- **प्रसार:** सीएमवी एफिड्स द्वारा फैलता है , जो सैप-चूसने वाले कीड़े हैं। सीएमवी भी मानव स्पर्श के माध्यम से फैल सकता है, लेकिन इसकी संभावना बेहद कम है।
- सीएमवी वायरस पौधों पर कीट या एफिड्स के माध्यम से फैलते हैं ,अधिक तापमान और लगातार हो रही बारिश से एफिड कीट तेजी से बढ़ते हैं।
- **प्रभाव:** सीएमवी भी पत्तियों के विरूपण का कारण बनता है, लेकिन पैटर्न अलग है। अक्सर ऊपर और नीचे की पत्तियां विकृत होती हैं जबकि बीच में पत्तियां अपेक्षाकृत दोष मुक्त रहती हैं।
- जबकि विशिष्ट प्रभाव मेजबान के आधार पर भिन्न होते हैं , कुल मिलाकर, सीएमवी स्टंटिंग और कम उत्पादन का कारण बनता है। ककड़ी में , वायरस बारी-बारी से पीले और हरे धब्बे के **मोज़ेक जैसे पैटर्न** का कारण बनता है।
- टमाटर में, फल का गठन प्रभावित होता है, और कुछ मामलों में फल विकृत और छोटा होता है।

रोकथाम-

- नर्सरियों में **जैव सुरक्षा मानकों** का पालन करना, और **टीओएमवी के प्रसार को रोकने के लिए** अनिवार्य बीज उपचार।
- ताजा रोपण से पहले खेतों को खरपतवार और पौधे सामग्री से साफ **किया जाना चाहिए** क्योंकि टीओएमवी खरपतवार में निष्क्रिय रह सकता है और खेत के चारों ओर पौधे के अवशेष रह सकते हैं,और बाद में वापस आ सकते हैं।
- सीएमवी को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका **पौधों पर त्वरित अभिनय कीटनाशकों या खनिज तेलों का छिड़काव करके** एफिड्स को रोकना है।

स्रोत: IE

Rajiv Pandey